



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी, 2018 सत्र

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

## कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 24, 67, 76, 21, 36,

मांग संख्या – 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45, 75, 51,

मांग संख्या – 9, 8, 47, 35, 58, 44, 46 से संबंधित

भाग - दो

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण
1.	श्री राजेश मूणत	24 67 76 21 36	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल लोक निर्माण कार्य – भवन लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय परिवहन
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	13 14 16 54 23 40 45 75 51	कृषि पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय मछलीपालन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय जल संसाधन विभाग आयाकट विभाग से संबंधित व्यय लघु सिंचाई निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं धार्मिक न्यास और धर्मस्व
3.	श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय	9 8 47 35 58 44 46	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग पुनर्वास प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय उच्च शिक्षा विज्ञान और टेक्नालॉजी

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी, 2018 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

**चन्द्र शेखर गंगराडे**  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – दो में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
  2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
  3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
  4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
  5. डॉ. (श्रीमती) रेणू जोगी, सदस्य
  6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
  7. श्री अरूण वोरा, सदस्य
  8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य
  9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
  10. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
  11. श्री कवासी लखमा, सदस्य
  12. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
  13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य
  14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
  15. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
  16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
  17. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
  18. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य
  19. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
  20. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
  21. श्री संतराम नेताम, सदस्य
  22. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
  23. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
  24. श्री दीपक बैज, सदस्य
  25. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
  26. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य
  27. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य
  28. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य
  29. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य
  30. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य
  31. श्री गुरुमुख सिंह होरा, सदस्य
-

## मांग संख्या – 24

### लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल

मतदेय राशि

रूपये 31,32,01,67,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

#### 1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के पहुंच मार्गों के डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (3) जिला सरगुजा अंतर्गत रेहण्ड नदी पर जमदरा से सतकालो मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) ए.डी.बी. से सहायता प्राप्त राशि से उन्नयित सड़कों की गुणवत्ता का अभाव है।
- (5) जिला सरगुजा अंतर्गत लखनपुर वि.ख. अंतर्गत तराजू से खम्हरिया रोड पर रेणु नदी पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) सरगुजा जिलान्तर्गत पुरातात्विक स्थल सितादेंगरा से सीढी (पहाड़) तक पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

#### 2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने डबल लेन सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में पुल विहिन मार्गों में पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

#### 3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के सड़कू –उरकुरा मार्ग निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (2) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के न.नि.वार्ड क्र.28 महर्षि वाल्मिकी वार्ड में सेट जेवियर स्कूल से चंडीनगर तक नई सड़क का प्रावधान नहीं है।
- (3) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक –3 गोगांव में पलाई ओव्हर से लेकर डबरा पारा कालोनी तक सड़क –नाली निर्माण प्रावधान नहीं है।
- (4) महानदी मुख्य नहर के आरंग से भानसोज नारा-संडी के हिस्से के नहर के बाजू में सड़कें निर्माण का प्रावधान नहीं है।

#### 4. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सड़कों के निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।

#### 5. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर विधान सभा के सड़कों को डामरीकृत करने का प्रावधान नहीं है।

6. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सारखी, आमनेर सड़क में पुल पुलिया निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (2) खोरपा पहुंच मार्ग का प्रावधान नहीं है ।
- (3) कोलर, खेली रोड से पलौद, परसदा टोलाघाट तक सड़क निर्माण का प्रावधान नहीं है ।
- (4) तोरला से पोंड सड़क निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (5) अभनपुर से नामकबांधा, टोकरों होते हुए गातापार तक सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (6) भलेरा से घटेरा सड़क निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (7) तोरका से डोमा उगेतरा सड़क निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (8) पारागांव, गोइन्दा टीका मार्ग के कुम्हारी नाला में पुल पुलिया निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (9) टिकरापारा, सेजबहार, भरेगा मार्ग पर कोलर नाला पर पुल पुलिया निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (10) कुर्रा, सोने सिल्ली, जामगांव सड़क के उन्नतिकरण एवं चौड़ीकरण का प्रावधान नहीं है ।
- (11) भुरका पाल्दा, कुम्हारी सड़क के उन्नतिकरण एवं चौड़ीकरण का प्रावधान नहीं है ।
- (12) भिलाई, अकोलीकला, गोईन्दा सड़क निर्माण एवं पुल पुलिया का प्रावधान नहीं है ।
- (13) खिलोरा से सिवनी सड़क निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (14) गिरोला से भेलवाडीह सड़क निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।
- (15) खरखराडीह से नवागांव सड़क निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है ।

7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधानसभा के परसदा हदरी से पोड़ी, परसदा से केवैया हरदई से चिरौटी बोदरी से परसदा सड़क का इस बजट में काई प्रावधान नहीं है ।

8. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) तेलीनबांधा रानीपुर खडीखडी मार्ग पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) कबरीडीह से रानीतालाब मार्ग पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) बोईरडीह से धुपसाल तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (4) बननवागांव से सम्बलपुर तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (5) जोप से हेताडकसा मार्ग पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (6) कल्लूबंजारी से दुर्रे बंजारी तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (7) आटरा से गेखघाट डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (8) बरहनी चाराभाठा, भेजराटोला, खोया तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (9) गोपालपुर, भरीटोला, पेण्डीडीह तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (10) किलारगोडी से शुहाडबरी तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- (11) तलवार टोला से डुमरघुचा तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (12) मोतीपुर से चारभाठा तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (13) पण्डरापानी से ग्वालदण्ड तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (14) कल्लू बंजारी से भकरा तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (15) शिकारीटोला से पारा के बीच नाला में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (16) पांगरीकला से सांकरदाहरा तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (17) हाले कोसा से फोलिहाटोला के बीच नाला में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (18) साल्हेकुसुमकसा के पास नाला में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (19) पण्डरीपानी से हेताडकसा मार्ग पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (20) सागली से हितागुटा तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

9. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मल्टी परपज हायर सेकण्डरी स्कूल पेण्ड्रा के मैदान में स्टेडियम बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बिलासपुर से रायपुर सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) जर्जर सड़कों की सुधार हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (4) रायपुर से धमतरी तक सिक्स लेन सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) अमरपुर गिरारी सड़क का उल्लेख नहीं है।
- (6) उमरबोई से कोटमीखुर्द सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) फीजिकल कालेज मैदान पेण्ड्रा में स्टेडियम बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (8) लो.नि.वि. अंतर्गत कोटखर्सा-पेण्ड्रा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) लो.नि.वि. अंतर्गत पेण्ड्रा-अमरपुर-आमाडांड-बस्ती सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) लो.नि.वि. अंतर्गत बसंतपुर-भाडत्री सड़क 10.2 कि.मी.सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) गुणवत्तापूर्ण सड़क, भवन, पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) लो.नि.वि. अंतर्गत गिरवर-पेण्ड्रा-सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) मरवाही तेन्दूमूडा से कछार, समुदलाई, उखाड़ तक 8 किलोमीटर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) मरवाही के सिलपहरी से बरगवां तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई जा रही खराब गुणवत्ता की सड़क का उल्लेख नहीं है।
- (16) मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा करने के बावजूद भी लो.नि.वि. के बजट में सिवनी से मरवाही सड़क को शामिल नहीं किया गया है।
- (17) मरवाही विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के मरम्मत का उल्लेख नहीं है।
- (18) मरवाही दर्री से गुम्माटोला तक सूखानाला पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

10. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) लो.नि.वि. अंतर्गत अमरपुर मुख्यमार्ग से जनपद पंचायत कार्यालय तक सड़क निर्माण की राशि जारी करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) केंवची से कांसबहरा तक कारीडोर रोड नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (3) दानीकुण्डी से सेमरदर्री तक सड़क नवनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (4) चलचली मोड़ मरवाही से चंगेरी तक सड़क चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (5) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत अमरपुर सवे लटकोनी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) सेमरा तिराहा (पेण्ड्रा रोड) से खोडरी तक सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (7) पीपरखूटी-आमागोहन मुख्यमार्ग से भनवारटंक तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) बेलगहना से कोटा तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (9) गौरेला से ज्वालेश्वर तक सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (10) गौरेला से अमरकंटक व्हाया देवरगांव सड़क नवनीनीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) कोटा एवं रतनपुर बाय-पास स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) दुर्गकोंदल अंतर्गत नागपुर से गोदूलमुण्डा मार्ग 06 किलोमीटर का मजबूतीकरण एवं डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (2) दुर्गकोंदल अंतर्गत रहूल से हाटाकोंदल मार्ग 08 किमी का मजबूतीकरण एवं डामरीकृत कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (3) दुर्गकोंदल अंतर्गत गोदूल मुंडा से गुडफेल मार्ग 07 किमी का मजबूतीकरण एवं डामरीकृत कार्य का उल्लेख नहीं है।

- (4) दूर्गकोंदल अंतर्गत तरहूल से कोटपारा मार्ग 08 किमी का मजबूतीकरण एवं डामरीकृत कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (5) चारामा अंतर्गत भरीओला से कसावाही मार्ग 3 किमी का मजबूतीकरण एवं डामरीकृत कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (6) चारामा अंतर्गत भरौद से जेपरा मार्ग 04 किमी का मजबूतीकरण एवं डामरीकृत कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (7) परभेली से जाड़ेकुर्सी मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) जाड़ेकुर्से से कोण्डसेज मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) कवाची कटेल से बांगाचार मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) गुरवण्डी से मंगहूर मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) चारामा अंतर्गत भरीटोला से कसावाही मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) चारामा अंतर्गत बड़ेगौरी से लिलेझर मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) भानुप्रतापपुर अंतर्गत हेतारकसा से भैराडीह मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) भानुप्रतापपुर अंतर्गत जेपरा से करामाड़ के मध्य मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) ग्राम पंचायत कोदापाखा के कोपाकटेल से संतराई के मध्य मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (16) दुर्गकोंदल अंतर्गत कोदापाखा से कोपाकटेल मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (17) ग्राम मोहगांव से छोटा (विखं भानुप्रतापपुर) मार्ग के मध्य पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (18) चारामा अंतर्गत गिधाली से किशनपुरी मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (19) मुख्य मार्ग से कोड़ेकुर्सी पहुंचमार्ग में कोटरीनदी पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (20) ग्राम पंचायत तराई घेटिया वि.खं. दुर्गकोंदल अंतर्गत स्कूलपारा से दर्रापारा जाने वाले मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (21) ग्राम पंचायत तराई घेटिया वि.खं. दुर्गकोंदल अंतर्गत नेड़गांव से रसोली पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (22) ग्राम पंचायत कलंगपुरी वि.खं. दुर्गकोंदल अंतर्गत कालागांव से नरेटीपारा जाने वाले पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (23) ग्राम पंचायत सुखई वि.खं. दुर्गकोंदल अंतर्गत सुखई से नीचे सुखई जाने वाले पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (24) नीचे सुखई में तुमरीटोला वि.खं. दुर्गकोंदल पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (25) गुदुम से सुरुंगदोह मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (26) भानुप्रतापपुर में जर्जर सड़क पुल पुलियों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (27) मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण भवन सड़क तथा पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

## 12. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बस्तर को राष्ट्रीय राज मार्ग 30 से ग्राम बालेगा से खोरखोजा रोड 5 किमी झरजर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर वि.सभा क्षेत्र ग्राम तुड़मानार से जगदलपुर जाने वाले एप्रोच रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) भैसगांव से घोटिया जाने वाली रोड नवीन पुलिया निर्माण में एप्रोज रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) बस्तर विधान सभा क्षेत्र ग्राम पाथरी से अमरावती (धिनारी) रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (5) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अन्तर्गत विकासखण्ड बकावंड में मारकण्डी नदी में निर्मित पुल के एप्रोच रोड निर्माण कार्य लगभग 5 किमी का कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (6) सड़क योजना के तहत ग्राम पंचायत कचनार से चोलनार तक 5 किमी पंचायत नलपावाड से जुगापाल 3 किमी का उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम फरसीगांव से सिमोड़ा जाने वाले रोड में पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश के क्षतिग्रस्त पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (9) बस्तर विधान सभा में नवीन पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 में बजट प्रावधान का वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) लो.नि.वि. अंतर्गत गुणवत्ताविहीन भवन निर्माण रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (12) ग्राम पंचायत बागमोलाई में नवनिर्मित हाईस्कूल भवन में अनियमितता किये गये ठेकेदार पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास-बस्तर जर्जर भवन-मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वा.केन्द्रों में महाता निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) बालिका छात्रावास भवन बस्तर का मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवाल बनाने का उल्लेख नहीं है।

**13. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) बुडेना से भैसमुड़ी सड़क मार्ग अंतर्गत जर्जर है इसकी स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है ।
- (2) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र मौहाडीह से भैसदा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) विधायक कालेनी पुरैना में जर्जर प्रवेश मार्ग में नवीन सड़क स्वीकृति का उल्लेख नहीं है ।
- (4) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमोरा से दर्री होते घुटिया तक पुल एवं सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (5) चांपा से जांजगीर फोरलेन अब तक बजट आबंटन का उल्लेख नहीं है ।
- (6) बनारी से पीथमपुर तक बाईपास सड़क निर्माण में भारी अनियमितता हो रही है।
- (7) चांपा से हसदेवनदी तट पर यातायात के दबाव को कम करने हेतु एक अतिरिक्त ब्रिज की घोषणा के बावजूद बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

**14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय कार्यालय भवन एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नये सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) धमधा-गंडई मार्ग पर ग्राम -देनिया में नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (4) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के विस्तार एवं डामरीकरण का उल्लेख नहीं है ।
- (5) खैरागढ़ विधान सभा अंतर्गत वि.ख. छुईखदान के मंडीप खोल जाने हेतु मार्ग पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (6) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
- (7) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के मेंनहर से सूरुडबरी सड़क बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

**15. श्रीमती अनिला भेड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के नदी नालों में पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

**16. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

चित्रकोट विधान सभा के जर्जर सड़कों के डामरी करण करने का उल्लेख नहीं है।

**17. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) अहिरधन नवागांव-धीमामार्ग, संकासा-कलंगपुर मार्ग हल्दी पसौद मार्ग, करमरी-खमताराई भारी-मुड़खुसरा-गिधवा-कोलियारा मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (2) कसही से औंरी मार्ग के मध्य नाला में पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (3) धमतरी राजनांदगांव, दुर्ग धमतरी मार्ग, चैकगंज के पास रेलवे क्रांसिंग के पास रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) मुख्य मार्ग से नर्मदाधाम –सुरसुली मार्ग पर पुलिया निर्माण डौण्डीलोहारा का उल्लेख नहीं है।
- (5) माहुद–संबलपुर मार्ग पर सांकरी से कमदरौद के मध्य तांदुला नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) मंचादुर से खर्रा नाला में पुल निर्माण गुण्डरदेही के लिए उल्लेख नहीं है।
- (7) खप्परखाडा से उत्तई मार्ग कि. 4 का उल्लेख नहीं है।
- (8) फरसफोड़ –झिरियां केवट नवागांव मार्ग किमी 6 निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) गुण्डरदेही –धमतरी मार्ग 1 से 29/2 किमी 26.20 निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) जामगांव –गुण्डरदेही मार्ग 1 से 17/6 किमी के निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) भरदाकला–सिब्दी मार्ग के मध्य नाला में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) भेंगारी से कुरदी मार्ग गुण्डरदेही के मध्य नाला में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) दुर्ग –गुण्डरदेही मार्ग 16 से 45 राज्य मार्ग 25 किमी निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) राजनांदगांव–धमतरी मार्ग 17 से 36 किमी 18 किमी निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) धीना से गइईनडिह मार्ग खैरा से रीवागहन मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (16) औरी से रानीतराई, पिनकापार, रिंवाकहन मार्ग गइईनडिह मार्ग, मुड़खुसरा–दुबचेरा मार्ग, संबलपुर–चे.ब. नवागांव मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (17) सिरीभांठा–पसौद मार्ग, कसौदा–भाटागांव की मार्ग साजा–कसौदा मार्ग, भेंगारी–बोरी मार्ग गब्दी खुस्खुल मार्ग खुस्खुल–भिलाई मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (18) खामतराई–गिधवा मार्ग, सिंगारपुर–सिब्दी माग्र सुरेगांव–बिजेभांठा मार्ग, खुरसुलखुरसुकी मार्ग, ईरागुडा –पायला मार्ग अर्जुन्दा चौक से बाईपास मार्ग का कोई उल्लेख नहीं है।
- (19) खेरथा–रीवागहन–हचौद–मुढ़िया मार्ग, नाहुदा–राघोनवांगांव, खामतराई–नाहुदा मार्ग फरदफोड़–रानीतराई–सिब्दी मार्ग खैरा–नवागांव मार्ग का उल्लेख नहीं है।

**18. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ओरगा मार्ग का पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) धर्मी मार्ग का पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) रा.गंज अवरार्झरिया मार्ग घाट कटिंग की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (4) बांकी नदी में मेधूली–विनयनगर गमटीया माला केवाली घुमरा मार्ग में पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) सुन्दरपुर नदी का पुल का उल्लेख नहीं है।
- (6) बांदा, चदौरा के क्षतिग्रस्त पुलिया जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (7) महादेवपुर, मणगहित मार्ग पुलिया जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

**19. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विकासखंड जैजेपुर के धनवारपारा से नरवागांव बोराई नदी में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) विकासखंड जैजेपुर के अरसिया से बिरा सोननदी में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) विकासखंड मालखरौदा के ग्राम पिहरीद से पिरदा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**20. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत विश्रामपुरी से बड़बत्तर मार्ग का नवनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जामगांव टिकरापारा तालाब से कच्छारपारा एटेकोन्हाडी मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

- (3) कोरकोटी से खालेखेदी मार्ग का निर्माण पुलियों सहित 3 किमी निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) डब्ल्यू बी.एम सड़क हस्मा से सुआडोंगरी भालुपानी मार्ग का निर्माण ल. 5 कि.मी. का उल्लेख नहीं है।
- (5) गमरी से नयापारा मार्ग का निर्माण पुलिया सहित 2.80. कि.मी. निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) अड़ेगां से प्रधान चेर्रा मार्ग का निर्माण पुलियों सहित 1.50 कि.मी. निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (7) जैतपुरी से कबोगा मार्ग निर्माण कार्य 3.50 कि.मी. निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (8) फबडा से चिंगमार मार्ग पर फवड़ा नाला बांध पुल का निर्माण 150 मीटर निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) सलना टेगापारा मार्ग के कि.मी. 2.4 पर भवरदीग नदी में सेतुमय पहुंच मार्ग ल. 110 मी. का प्रावधान नहीं है।
- (10) लिंगागांव बासकोट मार्ग के कि.मी. 2.10 भवरदीग नदी के उच्च स्तरीय सेतुमय निर्माण कार्य लं. 120 मी. का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) मुडापारा से गंराजीही मार्ग पुल पुलियों सहित ल. 6 कि.मी. मार्ग का निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (12) पीपरा से तरईबेड़ा मार्ग पुल पुलियों सहित ल. 3. कि.मी. निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) जोडयापारा से सलना मार्ग पुल पुलियों सहित 2.50 कि.मी. निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (14) सलना से मालगांव मार्ग पुल पुलियों सहित 2 कि.मी. निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) केशकाल मुक्तिधाम से रांधा मार्ग पुल पुलियों सहित 3 कि.मी. स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

## 21. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) मोहला मानपुर वि.स.क्षेत्र के कोरलादंड से कोण्डे के बीच सड़क में पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) मोहला मानपुर क्षेत्र के मुनगाडीह से मरकामटोला सड़क के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) मोहला मानपुर क्षेत्र के सीतागांव से टाटेकसा के सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) मोहला मानपुर क्षेत्र के गोटाटोला से झरण जाने वाले सड़क के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) मोहला मानपुर वि.स. क्षेत्र के ईरागांव से मदनटोला सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) डबरी से उमरपाल के बीच सड़क पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) मोहला मानपुर वि.स. क्षेत्र के मोहला से कंदाड़ी मार्ग को बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (8) मोहला मानपुर वि.स.क्षेत्र के कुम्हली से झीकांटोला सड़क एवं पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) मोहला मानपुर वि.स.क्षेत्र के कुम्हली से सलामटोला सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) मोहला मानपुर वि.स.क्षेत्र के बीसिंग टोला से कुम्हली तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) मोहला मानपुर वि.स. क्षेत्र के शेरपार से डूमाटोला सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) चिल्हाटी आमाटोला बांधाबाजार मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) मोहला मानपुर वि.स.क्षेत्र के बोगाटोला से मूचर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) मोहला मानपुर वि.स.क्षेत्र के जबराटोला से डूमोटोला सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) मोहला मानपुर क्षेत्र के मोतीपुर से धोसर सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (16) मोहला मानपुर वि.स. क्षेत्र के खड़गांव से पल्लेमाड़ी सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (17) मोहला मानपुर वि.स.क्षेत्र के जोन में ही पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (18) मोहला मानपुर वि.स. क्षेत्र के खड़गांव से कुपियागढ़ सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (19) मोहला मानपुर वि.स.क्षेत्र के आमाटोला से नेड़गांव सड़क पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**22. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश की ग्रामीण सड़को की बदहाल स्थिति में सुधार का उल्लेख नहीं है।

**23. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चोरहा नाला पर स्थित घोघेपुरी पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच मार्ग निर्माण एवं पुल-पुलिया का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) संजारी-बालोद विधान सभा अंतर्गत लाटाबोड जगन्नाथ मार्ग के नवीनीकरण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (4) संजारी-बालोद विधान सभा के जर्जर सड़कों की सुदृढीकरण की योजना का उल्लेख नहीं है।

**24. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) राजपुर के उलिया से भाकड, परसामुडी से डिगनगर चांची से भांजरीडझंड, बादा से भिलाई कुन्दी से करवां वन माग्र सह पुल-पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) कुसमी के सामरी मेन रोड से निचटपुर, कंहजया से गजाधरपुर, बरीपाठ से परसा तक सड़क सह पुल-पुलिया का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) कुसमी के धनेशपुर से बरपानी, मेन रोड कृष्णानगर से सिविलदाग, दात्रम से कामडीह कदली से धानपारा पहुंच मार्ग का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) गंडरागढ के कोठली से समुर्डा, चैत्रपुर से सरेगाजोली, सिलकिली से लोहराडांड सड़क सह पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) शंकर गढ के महुवाडीह से भरतपुर जगीया से भण्डारपारा से बासेन जगीया से नयापारा पोडी से दनगरा एवं बादां-चंपा, गम्धरडिह से ललितपुर, पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) शंकर गढ नवाडीह से कोठली मार्ग का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) राजपुर के कोटागहना से पहाडखहुआ मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) राजपुर रा.गंज मार्ग से सींगो-रियाडांड मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) राजपुर लदकुढ से महगई एवं महुडांड पहुंच विहीन मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) मेनरोड राजपुर -रा.गंज मार्ग अलखडिहा से गेनवार मार्ग का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) विकास खण्ड राजपुर के ग्रा. लाउ अटल चौक से ग्राम मुरका पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) कुसमी के कंजिया से गजाधरपुर मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (13) सामरी विधान सभा क्षेत्र के सड़क का संधारण कार्य का उल्लेख नहीं है।

**25. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ढोढाट्रिसरा से डांडटेसरा रोड का उल्लेख नहीं है।
- (2) वि.स. लुण्ड्रा के असकला से गंगोली पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (3) जिला जशपुर ग्राम पं. गायवुड़ा से कैलाशगुफा तक पक्की सड़क का उल्लेख नहीं है।
- (4) जोरी ग्रा.प. से शंकरगढ जिला बलरामपुर जाने के रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) दंडी से दोरदापारा के रोड का उल्लेख नहीं है।
- (6) विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा के वि.स. अम्बिकापुर के ग्राम पं. सरगवां से घघरी रुखपुर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा के वि.ख. अम्बिकापुर के ग्रा.पं. टपरकेला से मुख्य सड़क तक निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) विधान सभा क्षेत्र क.9 के लुण्ड्रा वि.ख. के अन्तर्गत चेकरपानी पहुंचमार्ग का उल्लेख नहीं है।

- (9) वि.स. क्षेत्र 09 अन्तर्गत वि.ख. लखनपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत पटकुरा से घटवन पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (10) ग्राम पंचायत रतनपुर से जमड़ी रोड पक्की करने का उल्लेख नहीं है।
- (11) ग्राम दतौली से सरबोली के बीच पुलिया का उल्लेख नहीं है।
- (12) ग्राम पंचायत ढांडट्रेसरा से धवन जाने के लिए रोड निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) ग्राम पंचायत खिस्खीया से जोयला होते मुडही रोड में पक्की सड़क का उल्लेख नहीं है।
- (14) लुण्ड्रा सिद्धार्थ खण्ड लखनपुर वि.ख.अम्बिकापुर वि.ख. में मुख्य मंत्री सड़क निर्माण एवं रिपेयर का उल्लेख नहीं है।
- (15) प्रदेश में अवैध परिवहन को रोक पाने में विभाग असफल रही है।
- (16) मेन रोड में चेसरपानी मोखा बस्ती जाने रोड पक्की करने का उल्लेख नहीं है।
- (17) ग्राम पंचायत लछी से खिरखीरी पारा तक रोड पक्की करने का उल्लेख नहीं है।

**26. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश से होकर गुजर रही राष्ट्रीय राजमार्गों पर आकस्मिक सेवा केन्द्रों की स्थापना की योजनाओं का उल्लेख नहीं है।
- (2) योजनागत सड़कों के गुणवत्ताविहीन निर्माण पर सुधार के साथ श्रमिकों के विलंबित पारिश्रमिक मुआवजा कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
- (3) दंतेवाड़ा के उन सभी मुख्य व सहायक सड़क मार्गों पर नागरिकों की आवाजाही पर एन.एम. डी.सी. व पी.डब्ल्यू.डी. के संयुक्त वित्तीय सहयोग से ओवरब्रीज निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में फोरलेन/सिक्सलेन की परिधि में आए सभी काटे गये वृक्षों की गणना सार्वजनिक कर उसके वृक्षारोपण के कैल्कुलेशन को पारदर्शी –सार्वजनिक व्यवस्था के साथ करने का उल्लेख नहीं है।

**27. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) कड़ेकेला से कासाझार सड़क निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) धरमजयगढ़ विकासखण्ड वृहद पुल निर्माण कार्य समयवधि कराने में असफल रहीं है।
- (3) नरवापारा टेन्डा, दारी-मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या— 67**  
**लोक निर्माण कार्य – भवन**

मतदेय राशि

रूपये 13,29,97,79,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19**

**1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के विकासखण्ड मुख्यालयों में कर्मचारी आवास निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

**2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) अभनपुर विधान सभा के ग्राम तोरला, परसदा (वि.मं.) सिवनी में हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर विधान सभा के ग्राम गिरोला, आलेखुंटा एवं कटिया में हाईस्कूल बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) गोबरा नवापारा में 100 बिस्तर अस्पताल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**3. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) बिल्हा विधान सभा के मटियारी चतुर्भुज मंड़ी एवं मुलेकेवतट, धौराभटा धार्मिक स्थल पर जन सुविधा हेतु विश्राम गृह निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) बिल्हा विधान सभा के थानों में पुलिस कर्मचारियों के लिये पर्याप्त भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**4. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा का भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा में छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) मरवाही क्षेत्र के भवनविहीन हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) मरवाही क्षेत्र में भवनविहीन हाईस्कूल में भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) मरवाही क्षेत्र के भवनविहीन कन्या छात्रावासों का भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) जशपुर जिले में हाकी खेल को बढ़ावा देने के लिये उच्च स्तरीय खेल परिसर निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) मरवाही के बरौर कन्या आश्रम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) मरवाही के भवनविहीन कन्या आश्रम करहनी में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) मरवाही के भवनविहीन कन्या आश्रम भस्कुरा में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) मरवाही के भवनविहीन कन्या आश्रम बस्तीबगरा में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (11) मरवाही के भवनविहीन कन्या आश्रम कोडगार में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) करसीवा (मरवाही) के हाईस्कूल भवन निर्माण में विलंब हो रहा है कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ब्लॉक मुख्यालय नगर पंचायत नवागढ़ में विश्रामगृह निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

6. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर में विश्रामगृह निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के छात्रावास भवन/आश्रम भवन तथा स्कूल भवनों की मरम्मत कराने का उल्लेख नहीं है ।
- (3) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।
- (4) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दूरीकपाल के सभी हाई स्कूल भवन निर्माण में अनियमितता हो रही है नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है ।

7. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खोमा में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) पिनकापार में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) माटरा खुज्जी में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (4) अरजकुण्ड में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (5) ग्राम खुर्सी टिकुल में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (6) गोडलवाटी में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (7) जादूटोला में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (8) बेलरगोड़ी (विधायक आदर्श ग्राम) में नवीन हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

8. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मोहला मानपुर क्षेत्र के माहुद में उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) मोहला मानपुर क्षेत्र के ग्राम डोकला में हाई स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) मोहला मानपुर क्षेत्र के मोतीपुर में हाई स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

9. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नवापारा टेन्डा हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

**मांग संख्या— 76**

**लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**  
मतदेय राशि रूपये 7,75,60,00,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19**

श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ए.डी.बी. से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग राज्य मार्गों/ जिला मार्गों के उन्नयन हेतु किया जा रहा है, जिसके नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है ।

## मांग संख्या- 21

### आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 8,51,47,83,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक- 32

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के समुचित प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- (2) औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त मॉनीटरिंग करने का अभाव है।

2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

3. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नया विधानसभा भवन एवं विधायक आवास निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) रायपुर राजधानी को प्रदूषण युक्त करने समुचित प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में बेजा कब्जा रोककर तथा गरीबों को आवासीय पट्टा देने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

5. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के स्थायी समाधान का उल्लेख नहीं है।

7. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर विधान सभा क्षेत्र से लगे फेशर में भारी प्रदूषण को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

वायु, जल, मृदा, पर्यावरण संरक्षण के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री गिरवर जंधेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) पर्यावरण के बचाव एवं रोकथाम किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी को रोकने में सरकार असफल रही है।
- (3) प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर जिले के गरीब परिवारों को आवास प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

**12. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में शासकीय कर्मचारियों के पर्याप्त मात्रा में आवास निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के सभी नक्सल प्रभावित जो नगरीय निकाय क्षेत्र के अस्थायी आवास में निवासरत् है। उन्हें मुफ्त आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवीन भवन निर्माण संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

**13. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बने तालाबों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण तथा ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या— 36

### परिवहन

मतदेय राशि

रूपये 1,08,64,86,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 8

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) परिवहन विभाग में व्यापक पैमाने में अवैध वसूली की जा रही है। नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापक दुर्दशा फैली है। जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अवैध परिवहन के रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (2) परिवहन विभाग में अवैध वसूली की जा रही है। नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) ओव्हर लोडिंग वाले वाहन सड़क पर चल रहे हैं। रोकने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में छोटे-छोटे वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में ओव्हर लोडिंग वाले वाहन सड़क पर चल रहे हैं। रोकने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
- (4) परिवहन विभाग में अवैध वसूली की जा रही है। नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

परिवहन विभाग में अवैध वसूली की जा रही है। नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

परिवहन विभाग में अवैध वसूली की जा रही है। नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग में परिवहन विभाग में अवैध वसूली की जा रही है। नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चाम्पा में हैवी वाहनों के लिये ट्रांसपोर्ट नगर संचालित करने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) अवैध परिवहन पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में यात्री बसों द्वारा बरती जा रही नियमितता पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में ओव्हर लोडिंग वाले वाहन सड़क पर चल रहे हैं। रोकने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
- (6) परिवहन विभाग में अवैध वसूली की जा रही है। नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में आवागमन की समुचित व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में छोटे-छोटे वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। नियंत्रण करने एवं नयी जांच चौकी खनिज उत्पादित क्षेत्रों में बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में ओव्हर लोडिंग वाले वाहन सड़क पर चल रहे हैं। रोकने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
- (4) पुलिस विभाग की लापरवाही से ट्रेकि अव्यवस्था के कारण लगातार सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो रही है नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री जनकराम वर्मा , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

सड़क दुर्घटना को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

**11. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के सभी गरीबी रेखा कार्ड धारियों को परिवहन शुल्क 50 प्रतिशत रियायत पर यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 13

### कृषि

मतदेय राशि

रूपये 23,66,83,02,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

#### 1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सूखा प्रभावित किसानों को फसल बीमा की क्लेम राशि के भुगतान का उल्लेख नहीं है।
- (2) कृषि यंत्रों के अनुदान में भ्रष्टाचार रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सूखे से प्रभावित किसानों के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रावधान नहीं है।
- (5) प्रदेश में हरित क्रांति विस्तार योजना के लिये समुचित प्रावधान नहीं है।
- (6) खेती के घटते रकबे को रोकने का प्रावधान नहीं है।
- (7) किसान आयोग के गठन का उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश में कर्ज से परेशान किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (9) प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

#### 2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों के कर्ज माफी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) फसल बीमा का लाभ किसानों को प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।
- (3) कृषि यंत्रों में किसानों को ज्यादा अनुदान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रत्येक जिले में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

#### 3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के किसानों के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं के विक्रय हेतु शाक-सब्जी-फल मंडियां उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
- (2) किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (3) अल्प वर्षा से किसानों को राहत दिलाने का प्रावधान नहीं है।

#### 4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में घटिया बीज एवं अमानक रासायनिक खाद वितरण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के किसानों पर खाद, बीज, कृषि उपकरण की उपलब्धता बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कृषकों की पूरी उपज खरीदी करने तथा समर्थन मूल्य 2100 रु. प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) किसानों को समर्थन मूल्य 2100 रु. प्रति क्विंटल तथा विगत तीन वर्षों का बकाया 300 रु. बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
- (6) किसानों के कर्ज माफी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों को राहत देने का उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) सूखा प्रभावित पेण्ड्रा एवं गौरेला तहसील क्षेत्र के किसानों को मुआवजा राशि वितरित करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा जिले में नकली कीटनाशक दवाई बिक्री के कारण किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा जिले में भूरा माहो के प्रकोप के कारण लगभग 40 प्रतिशत फसल क्षति हुई है। मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) चांपा में हसदो नदी किनारे नदी आधारित कृषि योजना के संचालित करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों को समर्थन मूल्य 2100 रु. प्रति क्विंटल, 300 रु. बोनस देने तथा एक-एक दाना धान खरीद करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों को समर्थन मूल्य 2100 रु. प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों को फसल बीमा राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सूखाग्रस्त प्रत्येक किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में किसानों को फसल बीमा राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर जिले में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) दलहन-तिलहन उद्यानिकी फसलों के रकबे में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) किसानों के कर्ज माफी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश में कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में घटिया बीज एवं रासायनिक खाद वितरण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (6) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-करपावन्द में कृषि उपज उप मण्डी खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (7) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषकों की उत्पादित उपज का समय पर भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड बकावण्ड में उद्यान विभाग की रोपणी खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (9) प्रदेश के बी.पी.एल. कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप खनन बाबत 75 से 85 फीसदी का अनुदान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (10) जिला बस्तर मुख्यालय में सब्जी मण्डी खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (11) प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

- (12) खेती के घटते रकबे को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (13) पांच वर्षों तक 300 रु. बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
- (14) कृषि पम्पों के अनुदान में भ्रष्टचार रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (15) गाम पंचायत-सौतपुर, पोटियावन्द, सन्धकारकी, दंडदेवड़ा, सानदेवड़ा को विगत वर्ष 2016-17 की फसल बीमा का लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (16) किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (17) बस्तर के सब्जी उत्पादक किसानों को राहत देने का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) किसानों के खेती संबंधी उपकरणों में सब्सिडी बढ़ाये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (2) राजनांदगांव जिले में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में नियत समय पर खाद बीज का वितरण कराने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में घटिया एवं अमानक रासायनिक खाद वितरण रोकने का उल्लेख नहीं है।

**12. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में कृषकों के लिये खाद गोदाम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**13. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) किसानों को निःशुल्क प्रमाणित बीज एवं खाद उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में नकली खाद व कीटनाशक दवाइयों की जांच करने एवं रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।

**14. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

किसानों के समर्थन मूल्य बढ़ाने व बोनस वितरण करने का उल्लेख नहीं है।

**15. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर किसानों को 75 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) बालोद जिले में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (3) प्रदेश के किसानों को ब्याजमुक्त दीर्घ कालीन ऋण प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

**16. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) गन्ने की खेती को बढ़ावा देने की योजना शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) सब्जी की खेती के लिये कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

**17. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

लुण्ड़ा में सब्जी मण्डी खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

18. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) रतनजोत से बायोडीजल बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) टमाटर एवं अन्य बागवानी फसलों को खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पंजीयन से वंचित किसान के धान खरीदी करने का प्रावधान नहीं है।
- (4) किसानों की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
- (5) फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को देने का उल्लेख नहीं है।
- (6) कृषि आधारित उद्योग लगाकर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का उल्लेख नहीं है।
- (7) उद्यानिकी फसलों के उपार्जन का उल्लेख नहीं है।
- (8) धान विक्रेता कृषकों को 5 साल की बोनस राशि देने का उल्लेख नहीं है।
- (9) किसानों को शासकीय अनुदान में दिये जाने वाली मशीनरियों का उल्लेख नहीं है।
- (10) किसानों की फसल में वृद्धि करने का प्रावधान नहीं है।
- (11) किसानों को उच्च गुणवत्ता की उर्वरक उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (12) ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक लगाने से किसानों को हुई क्षति की भरपाई करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) राष्ट्रीय कृषि बाजार के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
- (14) फूड प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (15) गौ-शालाओं में गायों की सुरक्षा एवं उनके उचित भोजन प्रबंधन का उल्लेख नहीं है।
- (16) स्मार्ट कार्ड योजना के सफल क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
- (17) किसानों को उच्च क्वालिटी के प्रमाणिक बीज निःशुल्क देने का उल्लेख नहीं है।
- (18) प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के खाद, बीज, दवाईयां सुलभता से किसानों को दिलाने का उल्लेख नहीं है।
- (19) रजिस्टर्ड गौ-सेवकों को मानदेय प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
- (20) प्रदेश में टपक योजना को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
- (21) किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रु. करने का उल्लेख नहीं है।
- (22) प्रदेश में टमाटर सहित अन्य सब्जी व फल उत्पादक किसानों के फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का उल्लेख नहीं है।
- (23) दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक बढ़ाने तथा उनकी खरीदी के लिये मंडियों का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (24) किसानों द्वारा उत्पादित धान का एक-एक दाना खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (25) सब्जी एवं फसल उत्पादक किसानों के लिये कोल्ड स्टोरेज निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (26) प्रदेश में धान भण्डारण का समुचित उपाय करने का उल्लेख नहीं है।
- (27) कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में मंदी के बावजूद कर राजस्व में 6.61 प्रतिशत वृद्धि के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही। राहत प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (28) फसल उत्पादन, मछली पालन, पशुपालन में वृद्धि दर घट रही है बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (29) किसानों की आय दुगना करने का उल्लेख नहीं है।
- (30) किसानों को 5 वर्ष की बोनस राशि प्रदान करने नहीं है।

19. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) दंतेवाड़ा में उन्नत कृषि व कृषकों के विकास के लिये आवश्यक अनुसंधान-विज्ञान-प्रयोगशाला की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) दंतेवाड़ा में कृषि व वनोपज आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिये स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण के साथ लघु-कुटीर उद्योगों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

20. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उद्यानिकी फसलों की मण्डी का प्रावधान नहीं है।

## मांग संख्या – 14

### पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 4,48,62,89,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 35

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पशुधन तस्करी के प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के पंजीकृत गौ-शालाओं में गायों की हत्या की जा रही है, रोकने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में पशु चिकित्सालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) गौ-शालाओं में गायों की मौतों पर नियंत्रण को रोकने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) उन्नत पशु पालन के लिये ग्रामीणों को स्वालम्बन बनाने एवं स्वेत क्रांति लाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गौवंश की हत्याओं पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) शासकीय कर्मचारियों के उपयोग एवं योजनाओं में चमड़े के उपयोग में कमी लाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में पशु चिकित्सालय की स्थिति सुधारने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पूरे प्रदेश में कुत्तों के काटने पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग में पशु चिकित्सालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पकरिया पशु प्रजनन केन्द्र गौरेला विकासखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्र एवं गेस्ट हाउस निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की गौ-शालाओं में गौ हत्या रोकने का उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बेलरगोड़ी में पशु औषधालय निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) साल्हे (मनहोरा) में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश की गौ-शालाओं में गायों की सुरक्षा के उपायों का उल्लेख नहीं है।

10. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भरदाकला, गुण्डरदेही में पशु औषधालय भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) धनोरा में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बदीगांव में पशु औषधालय भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मोहला-मानपुर विधान सभा क्षेत्र के के हथरा में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आवारा/घुमंतु पशुओं के रख-रखाव हेतु उचित व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर जिला मुख्यालय में पशु महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बस्तर विकासखण्ड के पल्ली चकना, विकासखण्ड बकावण्ड मोलार्द में पशु चिकित्सालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पशुधन तस्करी के प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में गौ-शालाओं में हो रही गौ-हत्या को रोकने का उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिले में पशु पालकों के लिये आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन सह विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छाल, धरमजयगढ़, महाराजगंज के जर्जर पशु औषधालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

17. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवीन पशु औषधालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवीन गौ-सेवा केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में गौ हत्या रोकने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 16

### मछलीपालन

मतदेय राशि

रूपये 68,81,98,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 36

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में मछली उत्पादन के गुणवत्ता पूर्ण योजना एवं उत्पादकों के समुचित प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के मछुआरों को मछलीपालन हेतु प्रोत्साहित करने का प्रावधान नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के बड़े जलाशयों में मछली पालन का कार्य स्थानीय मछुआरों को दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मत्स्य पालकों को उचित समय पर निःशुल्क मत्स्य बीज उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के एनीकटों, स्टापडेम में मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिये मछली बीज डालने संबंध रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के एनीकटों, स्टापडेमों में मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए मछली बीज डालने से रोजगार मिलने संबंधी उल्लेख नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अनुसूचित क्षेत्रों में मत्स्य समितियों की लीज राशि को माफ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बी.पी.एल. परिवारों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) एनीकटों, स्टापडेम में मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिये मछली बीज डालने संबंध रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में मछली उत्पादन के गुणवत्ता पूर्ण योजना एवं उत्पादकों के समुचित प्रशिक्षण के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के उपायों का प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।

7. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिले में उन्नत नस्ल के मछली पालक इच्छुकों के लिये योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मछली पालन व्यवसाय हेतु योजना उल्लेख नहीं किया गया है।

## मांग संख्या – 54

### कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 1,62,66,00,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

उन्नत कृषि एवं फसलों के उत्पादन हेतु कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों को उन्नत फसल हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खाद प्रोसेसिंग यूनिट हेतु कोई उल्लेख नहीं है।  
(2) प्रदेश के किसानों को उन्नत रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों को सभी जिलों में उन्नत रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खाद प्रसंस्करण उद्योग लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।  
(2) जिला मुख्यालय बालोद में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 23  
जल संसाधन विभाग

मतदेय राशि

रूपये 10,77,03,35,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जिला सरगुजा के विकासखण्ड उदयपुर अंतर्गत सिंचाई जलाशयों के पक्कीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में सिंचाई क्षमता की गुणवत्तायुक्त वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) किसानों को रबी की फसल हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
- (4) उद्योगों द्वारा जल के उपयोग की निर्धारित सीमा पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) जिला सरगुजा के विकासखण्ड अंधला में सिंचाई बांध के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों को रबी की फसल हेतु सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के किसानों को महानदी में बन रहे एनीकट से सिंचाई हेतु पानी प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) आदिवासी अंचल में सिंचाई सुविधाओं हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश की जीवनदायिनी महानदी को प्रदूषण से बचाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) कुरुद मंदिर हसौद स्थित ब्रिटिश कालीन सन् 1905 के निर्मित जलाशय के सेपटी पैनल का निरीक्षण, संरक्षण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जंजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों से होकर गुजरने वाली नहर मरम्मत कराने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पैरी नदी साई डेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) सोढुल जलाशय निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सिंचाई का मास्टर प्लान को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सिंचाई प्रतिशत कम है। वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश रबी फसलों की सिंचाई में रकबा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) अभनपुर उद्वहन नहर योजना में कबाड़ हो चुके पम्पों की जगह नया लगाने का उल्लेख नहीं है।

- (7) अभनपुर उद्वहन नहर योजना में ग्राम गिरोला, गातापार, नायकबांधा, खण्डवा, बंजारी, कुरू आदि नहरों का जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) दुलना एनीकट से ग्राम तर्री, नवापारा, छांटा, पारागांव, कोलियारी, जौंदी, चम्पारण, टीला, कुम्हारी, गौरभांठ, वनचरौदा, मिसदा, गोइन्दा, अकोलीकला की नहर निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (9) किसानों को रबी फसल हेतु सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (10) प्रदेश में निर्मित सिंचाई परियोजनाओं की तकनीकी गुणवत्तायुक्त निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (11) प्रदेश में उपलब्ध कृषि क्षेत्र में सिंचाई के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

**7. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) कोटा, रतनपुर, गौरेला पेण्ड्रा में स्थित तालाबों की साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) हसदेव नदी का पानी मरवाही तक लाने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) बस्तर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विकास की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

नागम ग्राम पंचायत पंसेसा में नदी के कटाव को रोकने तटबंध निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**10. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) सामरी विधान सभा क्षेत्र के बांध, जलाशयों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्यों का उल्लेख नहीं है।
- (2) शंकरगढ़ के करासी जलाशय, जमहाटी नाला, धुधरीखुर्द के पेण्डारडीह कोयली झरिया नाला में बांध के निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) कुसमी के मोतीनगर व्यपवर्तन योजना हरी, चैनपुर के जलाशय, देवहर के रीगद व्यपवर्तन योजना कार्यों की स्वीकृति करने का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में पुरानी सिंचाई नाला/नहर मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों को रबी फसल हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में सिंचाई क्षमता की समुचित एवं गुणवत्तायुक्त विकास करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम पंचायत फरसकीगांव-तर्जबोरिया नाला में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम पंचायत कुदालगांव महादेव मलिहर पचरी घाट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम पंचायत झाट तराई में इंद्रावती नदी मौता मंदिर के पास नदी कटाव रोकने पिचिंग कार्य करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम पंचायत बोदरा विकासखण्ड बस्तर महादेव मंदिर के पास इंद्रावती नदी के पास नदी कटाव रोकने पिचिंग कार्य करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) ग्राम पंचायत तोग मोगेरा विकासखण्ड बकावण्ड आमामुला पटफली नाला में स्टापडेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्टापडेमों के रख-रखाव करने का उल्लेख नहीं है।

**12. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) पीथमपुर लक्ष्मण घाट में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पनकोरा के बरनाला में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) कन्हर बांध निर्माण रोकने के प्रयासों का उल्लेख नहीं है।
- (4) पोलावरण बांध निर्माण रोकने के प्रयासों का उल्लेख नहीं है।
- (5) सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (6) नदियों के तट पर बसे नगरों का गंदा पानी नदी में आने से रोकने के हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) नदी जोड़ो योजना के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
- (8) जल की उपयोगिता के लिये कानूनन बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) प्रदेश के निर्माणाधीन एवं निर्मित एनीकटों में भ्रष्टाचार पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
- (10) जिन एनीकटों एवं स्टापडेम में पानी का भराव नहीं हो रहा है उसके निर्माणकर्ता ठेकेदार व अधिकारी पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
- (11) घाघरा, अपरखुज्जी, दमदम, गगनई, चौरसिया जलाशय के सिल्ट सफाई उल्लेख नहीं है।
- (12) जल संसाधन विभाग अंतर्गत घोड़देवा बांध के नहर विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) पेण्ड्रा के घाघरा जलाशय की नहर के पक्कीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (14) बंटीबहेरा पेण्ड्रा में लियान नदी पर एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (15) गौरेला विकासखण्ड में खोडरी में अरपानदी पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**13. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में नाबार्ड से सहायता प्राप्त जलाशय योजनाओं के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

**14. श्री गिरवर जंधेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश की नदियों में हो रहे कटाव को रोकने संबंधी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

**15. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में नवीन बांध एवं एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**16. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बस्तर जिले में किसानों को लाभ दिलाने हेतु सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख नहीं है।

**17. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

खटखरा मोंहदीपाठ नहर पर ग्राम भेड़ी हेतु सिंचाई योजना का उल्लेख नहीं है।

**18. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) महानदी प्रदायक नहर के सर्विस बैंक बालोदगहन से मुजगहन 42 कि.मी. तक डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण हेतु राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) महानदी प्रदायक नहर में ग्राम मुड़गहन में बांध निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) तांदुला तटबंध निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) गंगरेल-तांदुला लिंक नहर निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**19. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) नवीन सिंचाई जलाशय योजना शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पुराने सिंचाई जलाशय के जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) केवली बांकी नदी पर तटबंध निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**20. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) केशकाल ब्लॉक के कोरकोटी जलाशय का सुधार एवं नहर सुधार एवं लाईनिंग कार्य पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) केशकाल ब्लॉक के जामगांव जलाशय का सुधार एवं नहर सुधार एवं लाईनिंग कार्य पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) केशकाल ब्लॉक के ब्यालपुर जलाशय का सुधार एवं नहर सुधार एवं लाईनिंग कार्य पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) लगोडा उत्थवन सिंचाई योजना में पक्की कनेल निर्माण कार्य अधूरा है। पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) केशकाल विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई का साधन नहीं है। नदियों में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**21. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मोहला-मानपुर क्षेत्र के कोतरी नदी से मानपुर जल प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) मोंगरा डायवर्सन में प्रभावित किसानों को अभी तक बसाहट उपलब्ध नहीं कराया गया है। बसाहट उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

**22. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) छुईहा जलाशय (बलौदाबाजार) के गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कोण्डागांव जिले के संबलपुर, मेगरदरहा, विकासखण्ड कोण्डगांव की नारंगी नदी में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 40

### आयाकट विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 2,65,70,66,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

समस्त कच्ची नहरों के पक्कीकरण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम सिवनी की मारकन्दी नदी पर बना एनीकट जर्जर हो गया है। जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर बागमोलाई –पेटफली नाला में बना एनीकट जर्जर हो गया है। जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बकावण्ड बस्तर में सिंचाई तालाबों के जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) नदी किनारे बने एनीकटों /स्टापडेम में रोके गये पानी को सिंचाई के लिये छोड़ने तथा विद्युत व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है।
- (5) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के बकावण्ड व बस्तर के सिंचाई तालाबों क माध्यम से सिंचित रकबा क्षेत्र बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बेडाडी एनीकट कम काजवे निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) गेरुघाट एनीकट निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) बनियाटाला एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) बागडवार एनीकट निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आयाकट विभाग की नहर प्रबंधन-मरम्मत कार्य में लगे श्रमिकों को मजदूरी भुगतान कराने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में नये स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में निर्माणाधीन एनीकट व बैराजों में हो रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उड़िया नाले पर दो स्थानों पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विकासखण्ड मालखरौद के मुड़पार बोराई नदी मे एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) विकासखण्ड जैजैपुर के धनवारपारा बोराईनदी में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम लखुर्ती के जमड़ी नाला में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम कोनियापाठ जमड़ीनाला में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) विकासखण्ड बम्हनीडीह के हसदेव नदी में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) शिवनाथ नदी पर पांगरी टारेकसा एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) सिंघाभेड़ी दंतर पैडगरी मार्ग में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रामानुजगज कन्हार नदी में बने एनीकट में गंदे पानी जाने से रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

10. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बड़ेराजपुर ब्लॉक के मारंगपुरी एनीकट का कार्य अधूरा है। पूर्ण कराने उल्लेख नहीं है।
- (2) बड़ेराजपुर ब्लॉक के बालेंगा एनीकट का कार्य अधूरा है। पूर्ण कराने उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या – 45**  
**लघु सिंचाई निर्माण कार्य**

मतदेय राशि

रूपये 4,94,52,19,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31**

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में जर्जर नहर लाईनिंग के पुनर्निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में निर्मित एनीकट बैराजों हेतु ऑटोमेटिक गेट खरीदी में आर्थिक भ्रष्टाचार रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (3) घुनघुट्टा श्याम परियोजना के माईनर कैनल आरबीसी-दो-चार-पांच का सीमेंटीकरण कार्य कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) सरगुजा जिलान्तर्गत अंबिकापुर विकासखंड अन्तर्गत आरबीसी मैन कैनल के ऊपर सड़क के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के स्टाप डेमों के समुचित संधारण का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में लघु एवं मध्यम सिंचाई योजना हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के पूर्व में निर्मित गुणवत्ताहीन स्टापडेमों के पुनर्निर्माण एवं संरक्षण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में बनाये गये एनीकट एवं स्टापडेमों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम किरित में कोकड़ी नाले पर स्टापडेम सह पुलिया निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटिया के चिटकि नाले पर एनीकट सह पुलिया निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चांपी जलाशय की नहरों की लाईनिंग कार्य एवं मरम्मत कराने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम पंचायत उलंगपुरी के पुजारीपारा नदी में पुलिया के पास स्टाप डेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) विकासखण्ड दुर्गुकोंदल के अनंतिग्राम के डुवानाले पर स्टापडेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (3) विकासखण्ड दुर्गुकोंदल के अनंतिग्राम के भिरावाही व हाटकोंदल के मध्य नाले पर स्टापडेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) विकासखण्ड दुर्गुकोंदल के अनंतिग्राम के कोदापारवा के ग्राम गोकराटोला कवाची कटेल एवं बांगाचार में स्टापडेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भेण्ड्रा जलाशय की नहर लाईनिंग एवं विस्तार का उल्लेख नहीं है।
- (2) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में लघु एवं वृहद सिंचाई परियोजना प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धनगांव की आमनेर नदी पर रपटा निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**9. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में निर्मित जलाशय का पानी डौण्डीलोहारा के कृषकों को सिंचाई हेतु देने का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) हड़गहन जलाशय की 14 लघु नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (2) तांदुला जलाशय की केलगपुर माईनर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (3) तांदुला जलाशय की लिमोरा एवं परसदा माईनर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (4) केंचाउर नाले पर दो स्थानों पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) खरखरा मोहंदीपार नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (6) खरखरा नदी पर देवरीबंगला के पास तटबंध कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (7) तांदुला नदी पर रोना के पास तटबंध निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) भिलाई-तिलखेरी मार्ग के मध्य नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) खुटेरीरंग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) तांदुला नदी पर खर्रा के पास स्टापडेम कम रपटा निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के माईनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहरों के लाईनिंग कार्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**12. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) पुराने सिंचाई तालाब एवं चेकडेमों में हुई अनियमितता की शिकायत पर जांच का उल्लेख नहीं है।
- (2) कच्ची नहरों को पक्की नहरों में परिवर्तित करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पुराने ऐसे स्टापडेम एवं एनीकट जिसमें गेट नहीं हैं उनमें गेट लगाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अन्तर्गत बीपीएल कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप खनन हेतु 75 से 80 फीसदी राशि का अनुदान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

13. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) दंतेवाड़ा जिले की लघु सिंचाई योजना के जलाशयों एवं नहरों की मरम्मत एवं रख-रखाव का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में नवनिर्मित सभी एनीकटों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जांच का उल्लेख नहीं है।

14. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सामरी विधान सभा क्षेत्र में नवीन तालाब, स्टापडेम सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (2) राजपुर के नवकी एनीकट सह पुलिया राजपुर उद्वहन को—सह एनीकट, लडुवा उद्वहन को एवं एनीकट निर्माण कार्य की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (3) कुसमी के जवारवार्ड भुक्का नाले व्यावर्तन कार्य, राजेन्द्र नगर व्यपवर्तन कार्य, बाटा व्यपवर्तन, हरी के लतापानी नाले पर बांध निर्माण कार्यो को स्वीकृत किये जाने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि

रूपये 7,00,00,00,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

नाबार्ड से सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नाबार्ड से सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) नाबार्ड से सहायता प्राप्त लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या – 51**  
**धार्मिक न्यास और धर्मस्व**

मतदेय राशि

रूपये 14,44,50,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7**

**1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) बस्तर के देवगुड़ी के संरक्षण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं संधारण करने का उल्लेख नहीं है।

**2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) राजिम कुंभ के आयोजन में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) चंपारण तीर्थ स्थान में धर्मशाला निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के सर्वोच्च तीर्थ स्थान राजिम में 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाली धर्मशाला निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**3. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के धार्मिक स्थल मटियारी चतुर्भुज मंदिर, शिवनाथ एवं अरपा नदी तथा धौरा माड़, मनियारी नदी मूलेकेश्वर को धार्मिक पर्यटन में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

**4. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड के ग्राम दुरकाबेड़ा के शिव मंदिर के निकट धर्मशाला निर्माण तथा जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड के ग्राम बेड़ागांव के हींगलाजिन मंदिर में धर्मशाला निर्माण एवं जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।
- (3) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राचीन महादेव मंदिर मछोता, बोछरा, बस्तर एवं गुगादेरु मंदिर, हींगलाजिन मंदिर वेदगांव, बलियागांव, पाहुर एवं गिराला मंदिर के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।
- (4) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के मातागुड़ी/देवगुड़ी के मरम्मत हेतु घोषित एक लाख रूपये देने का उल्लेख नहीं है।
- (5) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीणों के आस्था के केन्द्रों के मरम्मत एवं मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान नहीं है।
- (6) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राचीन मंदिर कोटगड़, शिव मंदिर पाथरी, महादेव मंदिर, दुरकावंडा शिव मंदिर, कोंदालगांव मंदिर के जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।

**5. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मंदिरों एवं देवालयों के पुजारियों के मानदेय का उल्लेख नहीं है।
- (2) गिराधपुरी एवं सोनाखान के समुचित विकास का उल्लेख नहीं है।
- (3) राजधानी रायपुर में हज हाउस बनाने का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मंदिरों के रख-रखाव हेतु कोई योजना नहीं है।

## मांग संख्या— 9

### राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 20,85,50,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 7

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) रोजगार की तलाश में मजदूरों के पलायन को रोक पाने में सरकार असफल रही है।
- (2) उद्योगों के साथ हुए एम.ओ.यू. समाप्त हो जाने पर प्रभावितों को भूमि वापसी का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में आदिवासियों की भूमि गलत तरीके से खरीदी—बेची जा रही है।
- (4) मजदूरों के पलायन रोकने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के राजस्व अमले में रिक्त पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मजदूरों के पलायन रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बस्तर—रायगढ़ के विस्थापित परिवारों के व्यवस्थापन का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में भूमिहीन लोगों को दी गई काबिल काश्त भूमि की अवैध बिक्री रोकने एवं आबंटन का ग्रामवार ब्यौरा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर क्षेत्र में बंदोबस्त त्रुटि के सुधार करने में सरकार असफल रही है।
- (3) गोबरा नयापारा नगर को विकासखंड बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) अभनपुर क्षेत्र के सभी ग्रामों में फसल अनावरी रिपोर्ट गलत बनाने से किसानों को उचित मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
- (5) गोबरा—नवापारा को जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) अभनपुर तहसील के ग्रामों में कृषि जमीन पर अवैध कालोनी, सड़क एवं अवैध प्लाटिंग को रोकने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मजदूरों को पलायन रोकने का कोई उल्लेख नहीं है ।

5. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वनांचल क्षेत्र के आदिवासियों के जमीन विवाद से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण का उल्लेख नहीं है ।

6. श्री अरुण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में जमीन विवाद के लंबित प्रकरणों के निराकरण का उल्लेख नहीं है ।

**7. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निराकरण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) प्रदेश में सभी पटवारी हल्कों में पटवारी आवास एवं आय आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।
- (3) पिछड़ा वर्ग के वन क्षेत्र के निवासरत लोगों को वन अधिकार पत्र वितरण भेदभाव किया जा रहा है जिसका निराकरण का उल्लेख नहीं है ।
- (4) करपापाल में विकास खण्ड बनाने का उल्लेख नहीं है ।
- (5) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में बंदोबस्त त्रुटि में सुधार करने का उल्लेख नहीं है ।
- (6) भूमि अभिलेखों में कम्प्यूटरीकरण से उत्पन्न कृषकों का परेशानी का निराकरण उल्लेख नहीं है ।
- (7) प्रदेश के राजस्व अमले से संबंधित रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है ।

**8. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) भुंइया सापटवेयर की विसंगतियों को दूर करने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त राहत कार्य चलाने का उल्लेख नहीं है ।
- (3) खनिजों से प्राप्त राजस्व को संबंधित गांवों में खर्च करने का उल्लेख नहीं है ।
- (4) प्रदेश के बड़े शहरों में माफियाओं के कब्जे में रेत खराने हैं जिसे आम जनता को राहत दिलाने मूल्य कम करने का उल्लेख नहीं है ।
- (5) रेत विक्रय का दर तय करने का उल्लेख नहीं है ।
- (6) खसरा नक्शा फौती के मामले जल्द निपटाने कठोर निर्देश एवं पटवारी पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है ।
- (7) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सरल तरीके से बनाने का उल्लेख नहीं है ।
- (8) कृषि भूमि का बाजार मूल्य डायवर्टेंट भूमि के समान कर किसानों को राहत पहुंचाने का उल्लेख नहीं है ।
- (9) ब्लॉक पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का उल्लेख नहीं है ।
- (10) सड़क एवं रेल लाइन निर्माण में बेघर हो रहे लोगों की मुआवजा राशि कम किया जाना आपत्तिजनक है ।

**9. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में स्थापित हो रहे सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अधिग्रहित निजि भूमि के स्वामीयों को मुआवजा वितरण की निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है ।

**10. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में शासकीय कर्मचारी आवास गृह निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

**11. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के समस्त पटवारी हल्का में पटवारी पदस्थ करने में सरकार असफल रही है ।
- (2) प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों एवं घास भूमियों में हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने हेतु सरकार की कोई भी रणनीति का उल्लेख नहीं है ।
- (3) किसानों की जमीनों का डायवर्सन की प्रक्रिया सरल करने का उल्लेख नहीं है ।
- (4) प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

**12. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) आदिवासियों को उनकी भूमिस्वामी जमीन में सागोन की इमारती लकड़ी काटने की अनुमति का उल्लेख नहीं है ।
- (2) प्रदेश में अकाल पड़ने के संबंध में कोई मुआवजा का उल्लेख नहीं है ।

**13. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में अकाल पड़ने के संबंध में कोई मुआवजा का उल्लेख नहीं है ।

**14. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) भू-स्वामियों को आनलाईन दस्तावेजों के संबंध में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का उल्लेख नहीं है ।
- (3) प्रदेश में नये विकासखंड बनाने का उल्लेख नहीं है ।
- (4) प्रदेश के किसानों के द्वारा आत्महत्या करने से रोकने का उल्लेख नहीं है ।
- (5) लोहण्डीगुडा टाटा स्टील प्रभावितों के भूमि वापसी का उल्लेख नहीं है ।

**15. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों का कर्ज माफ करने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों सहायता राशि वितरण में सरकार विफल रही है ।
- (3) विकासखंड मुख्यालय तिल्दा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है ।
- (4) डी.एम.एफ. राशि व्यय समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को रखे जाने का उल्लेख नहीं है ।
- (5) मजदूरों के पलायन रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।
- (6) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है ।

**16. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

आदिवासी की जमीन को फर्जी तरीके से अधिग्रहण किये जाने पर रोक लगाने में सरकार विफल रही है ।

**17. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राजपुर के बारियों में उप तहसील की स्थापना किया जाये ।

## मांग संख्या- 8

### भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

मतदेय राशि

रूपये 13,85,23,60,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 7

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में नए राजस्व न्यायालयों की स्थापना नहीं की जा सकी है।
- (2) कृषि भूमि के अवैध डायवर्सन को रोक पाने में सरकार असफल रही है।
- (3) औद्योगिक प्रयोजनों एवं रेल परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तथा प्रभावितों को रोजगार नहीं दिया जा सका है।
- (4) आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आबादी भूमि का पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) औद्योगिकीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तथा प्रभावित को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में किसानों को भू-राजस्व के माध्यम से उचित सहायता देने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री रामदयाल उइके, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चोटिया विकासखण्ड पोड़ीउपरोड़ा का जिला कोरबा में उप तहसील खोलने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य: एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बरसों से काबिज जमीनों को हटाने के पूर्व सूचना देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) दलित बस्ती में गरीबों को आवास बनाकर देने का उल्लेख नहीं है।
- (3) औद्योगिकीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तथा प्रभावितों को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भू-अभिलेख की प्रतिलिपि सहज एवं सुलभ उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के छुईखदान में अनुभाग कार्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के गंडई को तहसील बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) खैरागढ़ को जिला बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राजस्व भूमि में अवैध कब्जा हटाने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

10. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर जिले में भूमि सुधार व भू-अभिलेख त्रुटि सुधार तथा बंदोबस्तीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के आदिवासियों की भूमि पर औद्योगिकीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) डिलमिली की अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के आदिवासियों को भूमि संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

औद्योगिकीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तथा प्रभावितों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है।

## मांग संख्या- 47

### कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मतदेय राशि

रूपये 3,90,96,87,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक- 42

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में दिव्यांगजनों को रोजगार मुहैया कराये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में आयोजित सभी भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में युवा बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क माफी का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- (3) कौशल विकास हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में लगभग 20 लाख पंजीकृत बेरोजगार है । प्रदेश में सरकारी पद रिक्त पड़े है। रिक्त पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर में नये पॉलीटेक्नीक कालेज प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम तोरला, तामासिवनी एवं खोरपा मे आई.टी.आई. की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

5. डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) आउट सोर्सिंग बन्द करके स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मरवाही में पालीटेक्निक कालेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (3) कोटा विधान सभा क्षेत्र में पालिटेक्निक कालेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (4) बेलगेहना व करगीकला ग्रा.पं. में कन्या एवं बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावास खोलने की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अमरजीत भगत, सदस्य: एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में बेरोजगारी समस्या गंभीर है का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री अरुण वोरा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) चांपा नगर में पालिटेक्निक कालेज प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) चांपा का भारतीय हाथकरघा औद्योगिक संस्थान के पासआउट छात्राओं को सरकार की तरफ से रोजगार की प्राथमिकता का उल्लेख नहीं है।
- (3) आदर्श ग्राम सेमरा में महिला आई.टी.आई. प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) शासकीय महाविद्यालयों के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है।

**9. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) आई.टी.आई. केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में आसान तरीके से रोजगार उपलब्ध कराकर मजदूरों का पलायन रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (5) मिट्टी, बांस, मेटल इत्यादि से निर्मित वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (6) कोसा बुनकरों को रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
- (7) मेक इन इंडिया छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक नारा है विनिर्माण करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश में आई.टी. पार्क बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्थानीय उद्योग में रोजगार दिलाने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (10) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। इनकी लक्ष्य प्राप्ति का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के गण्डई क्षेत्र में नवीन आई.टी.आई. खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेडों में पर्याप्त मात्रा में स्टॉप शिक्षको की कमी दूर करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

**11. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के युवाओं को जिनकी नौकर की आयु सीमा पूर्ण हो गई है उन्हें रोजगार सुरक्षा गारंटी योजना से सुरक्षित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में नवीन तकनीक महाविद्यालयों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में औद्योगिकीकरण हेतु अधिकृत भूमि प्रभावितों के परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नीति का उल्लेख नहीं है।

**12. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

**13.. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

महिला आई.टी.आई. में बंद पड़े मशीन एवं ट्रेड को खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

**14. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) शिक्षित बेरोजगारों को स्थाई रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
- (3) बस्तर संभाग के आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक कालेज में रिक्त शिक्षकों के पदों की पूर्ति का प्रावधान नहीं है।

**15. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अन्तर्गत विकास खंड बस्तर एवं बकावंड में महिला आई.टी.आई. खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में आई.टी.आई. में प्रशिक्षण में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित आई.टी.आई. में कम्प्यूटर हार्डवेयर ट्रेड प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित युवकों को रोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (5) बस्तर में रोजगार मूलक तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने संचालित करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
- (7) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में महिला आई.टी.आई. प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

**16. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) बलरामपुर जिले में बुनियादी प्रशिक्षण संस्था खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) शिक्षित बेरोजगार हेतु कोई नवीन योजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) कौशल विकास प्रशिक्षण उपरांत शिक्षित बेरोजगार के रोजगार का उल्लेख नहीं है।
- (4) आई.टी.आई. में नवीन विषय की प्रशिक्षण देने का उल्लेख नहीं है।
- (5) बलरामपुर जिले में स्थानीय भर्ती में शिक्षित बेरोजगारों को ही शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

**17. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) आई.टी.आई. केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।
- (2) चित्रकोट विधान सभा में संचालित आई.टी.आई. केन्द्रों में ट्रेड बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के युवा कौशल से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
- (4) बस्तर के बेरोजगारों को स्थानीय रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
- (6) नगरनार स्टील प्लांट प्रभावितों को नौकरी देने का उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रदेश के युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
- (8) बस्तर जिले में कौशल विकास के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में बेरोजगार इंजीनियरों को पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराने में सरकार असफल रहीं है।
- (2) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित युवकों को रोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में असफल रहीं है।

19. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लुण्ड्रा विकासखण्ड में आई.टी.आई. खोलने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या— 35

### पुनर्वास

मतदेय राशि

रूपये 2,29,60,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 28

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पुनर्वास नीति का पालन कराने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पुनर्वास नीति का पालन कराने का उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नक्सली बारदाना में मृत ग्राम नागरिक के आश्रित सदस्य को नौकरी/मुआवजा हेतु कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

4. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जिला बस्तर में पुनर्वास नीति अंतर्गत प्रभावितों को तय समयसीमा में रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर में मजदूरों के पलायन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में पुनर्वास नीति का पालन कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) बस्तर जिले में खनिज अयस्कों के पूर्णक्षरण कार्य से प्रभावितों के पुनर्वास तथा व्यवस्थापन कराने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर-चांपा जिले में सर्वाधिक पलायन के निराकरण एवं मजदूरों को पुनर्वास नीति का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 58

### प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

मतदेय राशि

रूपये 6,08,84,00,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में आपदा नियंत्रण एवं बचाव की योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सूखा प्रभावित तहसील में राहत कार्य प्रारंभ कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) समस्त सूखा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम बनचरौदा (महानदी) एवं ग्राम आमदी, खट्टी, ढोढ़रा, (खारून नदी) में बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) रायपुर जिले में बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा से काफी अधिक क्षति होती है, आपदा प्रबंधन के उचित उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (3) गोबरा-नवापारा में बाढ़ नियंत्रण, दीवाल में पम्प हाउस बनाकर पम्प लगाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में आपदा नियंत्रण एवं बचाव की योजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में सहायताएं एवं रोजगार मूलक कार्यों का उल्लेख नहीं है।

6. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के भिखारियों को रखने के लिये पुनर्वास केन्द्र बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम छिराहीडीह में नदी पर बाढ़ नियंत्रण दीवार बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के आकस्मिक प्राकृतिक आपदा से निजात दिलाने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

8. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) आपदा फंड का उपयोग सही समय पर करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम पंचायत फरसीगांव गिरोलारोड से सिफोडा जाने वाली रोड में पुलिया गई है। आपदा निधि से पुलिया निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में आपदा नियंत्रण एवं बचाव की योजना का उल्लेख नहीं है।

9. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नोटबंदी के कारण व्यापक पैमाने पर श्रमिकों को पलायन से रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत हेतु कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या— 44

### उच्च शिक्षा

मतदेय राशि

रूपये 6,76,50,60,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 38

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) समस्त नये जिलों में ग्रंथालयों की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में संचालित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं।
- (3) प्रदेश में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति लंबे समय से लंबित है, समय पर पदोन्नति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) कॉलेज प्रवेश करने वाले युवाओं को प्रथम वर्ष में लेपटॉप वितरण का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश के प्रमुख शहरों में युवाओं एवं युवतियों के लिए हाईटेक हॉस्टल के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) महाविद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर ग्रामीण के नगर निगम बीरगांव के महाविद्यालय में खेलकूद मैदान हेतु भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र बीरगांव महाविद्यालय में ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान विधान सभा क्षेत्र रायपुर ग्रामीण के ग्राम मानाबस्ती में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सन् 1983 से प्रारंभ शासकीय महाविद्यालय भानुप्रतापपुर में अब तक छात्रावास भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चांपा में बहुत पुरानी मांग शासकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग के महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति का उल्लेख नहीं है।

7. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नवापारा (तर्रा) शासकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (2) नवापारा (तर्रा) शासकीय महाविद्यालय में बाउण्ड्री वॉल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) अभनपुर क्षेत्र के ग्राम तामासिवनी एवं खोरपा तथा तोरला में महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री अमरजीत भगत , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सीतापुर के महाविद्यालय में हॉस्टल की पृथक से व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) महाविद्यालयों में विषयवार प्राध्यापकों की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम उमरवाही में महाविद्यालय स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम गैडाटोला में महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के बोदरी नगर पंचायत में महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दंतेवाड़ा में शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

12. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राहुद तथा जवेरतला रोड में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

13. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) डौण्डीलोहरा विधान सभा क्षेत्र के महाविद्यालय दल्लीराजहरा तथा डौण्डीलोहरा में बीएससी, एमएससी, बीएसी, एमएसी कक्ष प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा क्षेत्र डौण्डीलोहरा में नवीन पोलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) डौण्डीलोहरा विधान सभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के विकासखंड छुईखदान में स्थित बुंदेली में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के जालबांधा में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के बाजार अतरिया में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकासखंड खैरागढ़ के रानी रश्मिदेवी शासकीय महाविद्यालय में अहाता निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

- (5) प्रदेश के महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ बढ़ाये जाने संबंधी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि व समय पर छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

**15. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) शासकीय महाविद्यालय मरवाही में विषय बढ़ाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के माध्यम से कार्यरत् सहायक प्राध्यापक एवं अन्य कर्मियों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले एवं शोध कर चुके शोधार्थियों को कम से कम एक प्रोजेक्ट पर राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

**16. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) परसगांव महाविद्यालय में अहाता निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) केशकाल महाविद्यालय में अहाता निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बड़ेराजपुर विकासखंड के ब्लॉक मुख्यालय में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

**17. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विकासखंड बम्हनीडीह के ग्राम बम्हनीडीह में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) विकासखंड जैजैपुर के ग्राम ओथिया में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

**18. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

रामानुजगंज महाविद्यालय में लॉ कॉलेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

**19. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

चित्रकोट विधान सभा में नवीन महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

**20. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मोहला—मानपुर क्षेत्र के सिंघाभेड़ी में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मोहला—मानपुर क्षेत्र के कोरचाटोला में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सांसद आदर्श ग्राम गोटाटोला में महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

**21. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कोंडागांव जिला मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) कोंडागांव जिलान्तर्गत विकासखंड माकड़ी में महाविद्यालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

22. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गौरेला एवं पेण्ड्रा महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए 100-100 सीटर छात्रावास खोलने का उल्लेख नहीं है।

23. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सामरी विधान सभा क्षेत्र के राजपुर, कुसमी एवं शंकरगढ़ में महाविद्यालयों में विषयवार अध्यापकों की पदस्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) सामरी विधान सभा क्षेत्र के चांदो एवं सामरी में नवीन कॉलेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

24. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार अन्तर्गत सुहेला उप तहसील में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) महाविद्यालयों में विषयवार प्राध्यापकों की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।

25. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अन्तर्गत विकासखंड बस्तर मुख्यालय में महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर में आदिवासी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) शासकीय महाविद्यालय बकावंड में हॉस्टल की व्यवस्था प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) बस्तर नगर पंचायत ब्लॉक मुख्यालय में वर्षों से लंबित महाविद्यालय खोले जाने की मांग को पूर्ण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) बस्तर विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधा शीघ्र शुरू किये जाने का उल्लेख नहीं है।

26. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सूरजपुर जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 46  
विज्ञान और टेक्नालॉजी

मतदेय राशि

रूपये 20,95,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 42

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनोपयोगी कार्य योजना का अभाव है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में विकास हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बायोडीज़ल उत्पादन का उल्लेख नहीं है।

4. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।